वरीय परियोजना अभियंता का कार्यालय,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड,
कार्य प्रमंडल, आरा।

।। अल्पकालीन दर आमंत्रण सूचना ।।

(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर)

निविदा संख्या–1615 / पटना दिनांक–14.11.2016

गंगा नदी पर बक्सर जिलान्तर्गत ब्रहमपुर प्रखंड के नैनीजोर गॉव में बिहार घाट से उत्तरी दियारा के बीच पुल के मरम्मति (क्षतिग्रस्त सामानों की मरम्मति, कम पड़े सामानो की आपूर्ति) के साथ पीपा पुल लगाने, पीपा पुल का रख–रखाव करने एवं बाढ/बरसात से पूर्व पीपा पुल खोलकर अगले दो वर्ष (वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18) में लगाये जाने तक सुरक्षित रखने का कार्य हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0/केन्द्रीय/राज्य सरकार/एम0ई0एस0/सी0पी0डब्लू0डी0/बिहार राज्य विघुत बोर्ड/ सार्वजनिक क्षेत्र में निबंधित अनुभवी संवेदको से दो बीड प्रणाली (तकनीकि एवं वित्तीय) के अन्तर्गत दर आमंत्रित किये जाते है। यदि संवेदक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में पूर्व से निबंधित नही है, तब एकारानामा के पूर्व उन्हें निगम के समुचित श्रेणी में निबंधित होना अनिवार्य होगा।

क्र॰	जिला	परियोजना का नाम	प्राक्कलित राशि (रू॰ लाख में)	अग्रधन की राशि (रू॰ लाख में)	परिमाण विपत्र की राशि (रू॰में)	Bid Processing Fee (Online Payment) (अप्रत्वर्णीय) राशि (रू॰में)	कार्य की अवधि	
							(क) पुल लगाने की अवधि	(ख) पुल खोलने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	बक्सर	बक्सर जिलान्तर्गत ब्रहमपुर प्रखंड के नैनीजोर गॉव में बिहार घाट से उत्तरी दियारा के बीच पुल के मरम्मति (क्षतिग्रस्त सामानों की मरम्मति, कम पड़े सामानो की आपूर्ति) के साथ पीपा पुल लगाने, पीपा पुल का रख–रखाव करने एवं बाढ/बरसात से पूर्व पीपा पुल खोलकर अगले दो वर्ष (वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18) में लगाये जाने तक सुरक्षित रखने का कार्य। कुल लम्बाई–732.0 मीटर	Rs.180.68	Rs. 3.62	Rs.10,000	Rs.5750.0	15 (पन्द्रह दिन) कुल 2 (दो) वित्तीय वर्षो के लिए।	10 (दस) दिन

2	**बीड पत्र प्राप्त करने की अवधि एवं समय**	:–	**<u>21.11.2016</u>** से **<u>27.11.2016</u>** को **<u>3.00</u>** बजे अपराहन तक सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर।
3	**बीड प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं सयम**	:–	दिनांक **<u>28.11.2016</u>** को **<u>3.00</u>** बजे अपराह्न तक सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर।
4	**तकनीकि बीड खोलने की तिथि, समय एवं स्थान**	:–	दिनांक **<u>29.11.2016</u>** को **<u>4.00</u>** बजे अपराह्न तक सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर।
5	निविदा की वैद्य अवधि	:–	निविदा खोलने की तिथि से 120 दिन तक।

6 क्रमांक 2,3 एवं 4 (निविदा संबंधित तिथि) में किसी दिन अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस मान्य होगा तथा अलग से इसकी कोई सूचना नही दी जायेगी।

7 तकनीकी बीड में सफल संवेदको का ही वित्तीय बीड सिर्फ www.eproc.bihar.gov.in पर खोला जायेगा।

8 ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदको को www.eproc.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना होगा। यह उन्हे वेबसाईट (www.eproc.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई–टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनिवार्य है।

9 ई–निविदा पत्र, अन्य नियम एवं शर्त्ते वेबसाईट <u>www.eproc.bihar.gov.in</u> से प्राप्त किया जा सकता है।

10 संवेदक द्वारा परिमाण विपत्र वेबसाईट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर भेजना है। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात यथा बैंक ड्राफ्ट, Bid Processing Fee/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। तकनीकि बीड खोलने की तिथि दिनांक–**<u>29.11.2016</u>** को अपराहन **<u>3.00</u>** बजे तक **<u>वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, आरा / उप मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना के कार्यालय</u>** में परिमाण विपत्र का मूल्य, Bid Processing Fee एवं अग्रधन की राशि को **मूल रूप** में जमा करना अनिवार्य है।

11 किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शुद्धि पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।

12 ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं पंजीकरण हेतु E-Procurement, First Floor, M/22, Bank of India Building, Road No-25, Sri Krishna Nagar, Patna-800001 (दूरभाष संख्या–0612–2523006, मो०नं०–9939035696/7542026164) से सम्पर्क किया जा सकता है।

13 विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है अथवा वेबसाइट www.brpnn.bih.nic / www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है। **<u>संपर्क पदाधिकारी का नाम–अरूण कुमार, पदनाम–वरीय परियोजना अभियंता, मोबाईल नं0–9431820171 एवं नाम–आलोक कुमार, पदनाम–परियोजना अभियंता, मोबाईल नं०–9471004831</u>**

ह०/–
वरीय परियोजना अभियंता,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0
कार्य प्रमंडल, आरा।

नियम एवं शर्त्ते :

1. निविदा / दर प्रस्ताव के साथ अग्रधन की राशि निम्न रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।

(i) कॉलम 6 में परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नही जायेगा) किसी भी राष्ट्रीय बैंक / अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो **वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, आरा, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के पदनाम से निर्गत एवं पटना में भुगतेय हो।**

(ii) कॉलम 5 में अग्रधन की राशि को निम्न रूप से संलग्न करना अनिवार्य है जो **वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, आरा, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के पदनाम से प्रतिज्ञित होगा।**

(a) बिहार राज्य से निर्गत, बैक ड्राफ्ट / सावधि जमा / NSC / KVP

(b) एक करोड़ से उपर के परियोजना के लिए शर्त्तरहित बैंक गारंटी भी (बीड पीरियड के 45 दिनों बाद तक वैद्य) स्वीकार्य होगें जो किसी भी अनुसूचित भारतीय बैक से निर्गत हो (बिहार राज्य के बाहर के बैंक से निर्गत की स्थिति में, एकरारनामा के पूर्व बिहार राज्य अन्तर्गत किसी अनुसूचित बैक में परावर्तित कराना होगा)।

(iii) कॉलम–7 में अंकित राशि जो Bid Processing Fee ऑनलाइन मोड यानि इंटरनेट भुगतान गेटवे (क्रेडिट काड / डेबिट कार्ड) नेट बैंकिग एन0ई0एफ0टी0 / आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

(a) "Bid Processing fee is mandatory to be paid through online mode i.e., internet payment gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS"

(b) Bids along with necessary online payment must be submitted through e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non submission of tender/Non Reconciliation of online payment caused due to None-availability of internet connection, Network Traffic/Holiday or any of the reason.

2 संवेदक को तकनीकी बीड में निम्न अर्हत्ता अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा तथा समस्त प्रमाण पत्रों (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) को स्कैन कर अपलोड (UPLOAD) करना अनिवार्य है। निविदा प्राप्ति के बाद कोई कागजात / प्रमाण–पत्र आदि स्वीकार्य अथवा विचार योग्य नही होगा।

(i) आयकर PAN/TAN, वाणिज्य कर एवं श्रम विभाग में निबंधित होने का प्रमाण पत्र।

(ii) संवेदक को किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा (क) Debar (ख) Black listed एवं (ग) विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर Rescind, न होने की सूचना का शपथ पत्र। शपथ पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि एवं प्राप्ति की तिथि के बीच की अवधि का होना अनिवार्य है।

(iii) विगत पॉच वित्तीय वर्षो में से किसी एक वित्तीय वर्ष का Civil Construction work से संबंधित कार्य का ऑडिटेड टर्न ओभर (A.T.O) जिसमें निविदित कार्य विशेष के अनुमानित लागत का किसी एक वर्ष मे कम से कम 40% के समतुल्य होना अनिवार्य है।

(iv) संवेदक को उनके जिम्में, सम्पादित किये जा रहे अन्य कार्यो के एकरारनामा की राशि, बीड प्राप्ति की अंतिम तिथि तक सम्पादित किये गये कार्यो की राशि एवं सम्पादन हेतु अवशेष कार्यो की राशि की स्पष्ट विवरणी, यदि कोई कार्य नही भी है तो भी शपथ पत्र के माध्यम से शून्य प्रतिवेदन करना अनिवार्य है।

(v) उपरोक्त बिन्दु (ii), (iii) एवं (iv) से संबंधित शपथ पत्र का प्रारूप वेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

(vi) संवेदक द्वारा bid amount का न्यूनतम 25 प्रतिशत invest करने का शपथ पत्र। शपथ पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि एवं प्राप्ति की तिथि क बीच के अवधि का होना अनिवार्य है।

(vii) विगत पाँच वित्तीय वर्षों के अन्दर, किसी एक वित्तीय वर्ष में **366.0 मीटर** लम्बाई में पीपा पुल लगाने का अनुभव (सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा निर्गत)।

(viii) **Bid Capacity का निर्धारण B.C=(AxNx2-B) के आधार पर किया जायेगा, जिसे Technical Sheet में परिभाषित किया गया है।**

3 (i) प्रतिशत दर अंकों के साथ साथ शब्दों में अंकित करते हुए अपलोड करना होगा।

(ii) निविदित दर, प्रभावी अनुसूचित दर से कम दिये जाने के स्थिति में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 3376 (E) दिनांक 17.08.2010 के कंडिका 4 में दिये गये दिशा निर्देश का अनुपालन किया जायगा।

(iii) सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 2046 (S) दिनांक 06.03.2014 के अनुसार प्रतिशत दर पद्धिति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10 प्रतिशत कम तक निर्धारित की जाती है। **10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धत रहने वाले निविदाएं अमान्य मानी जायगी।**

(iv) निविदा में, अन्तिम रूप में संवेदक का चयन होने के पश्चात एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कार्यालय में निबंधन कराना अनिवार्य है अन्यथा उनके पक्ष में किये गये कार्यावंटन को रद्द कर दिया जायेगा। भविष्य में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं उनका अग्रधन राशि जब्त कर लिया जायेगा।

4 (i) पीपा पुल से संबंधित यंत्र–संयंत्र के स्वामित्व से संबंधित प्रमाण–पत्र (शपथ पत्र के साथ) होना चाहिए विभागीय पदाधिकारी अथवा परियोजना अभियंता द्वारा कार्य से संबंधित, यंत्र–संयंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

(ii) तकनीकी बीड में एक पृथक पृष्ठ (चेकलिस्ट) पर समस्त वांछित सूचनाओं यथा अग्रधन, कार्य संबंधी अर्हता, कार्य–अनुभव, निबंधन आदि को पृष्ट संख्या के साथ अंकित करते हुए अपलोड (UPLOAD) होना चाहिए।

5 निविदा दाता को सलाह दी जाती है कि निविदा देने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर लें एवं कार्य स्थल की स्थिति तथा अन्य स्थितियों को पूर्ण अवगत हो लें। कार्य आवंटन के पश्चात् कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित अन्य कोई भी दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर एकरारनामा में निहित शर्त्तों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लिए

(क) पौन्टुन पुल का रिसेटिंग, जेटी एवं पहुँच पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि– कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों में।

(ख) मौनसून आने से पहले पौन्टुन को खोलकर (Dismantle) नदी के किनारे सुरक्षित रखना – 10 दिनों में।

(ग) पौन्टुन पुल का रख–रखाव – पौन्टुन लगाने से खोलने तक।

(घ) वर्षा ऋतु में पौन्टुन को नदी किनारे ऐनकर लगाकर रखना तथा नदी के जलस्तर घटने –बढ़ने के अनुसार ऐनकर की लम्बाई को घटा–बढ़ाकर पन्टुन को जलस्तर के साथ रखना–लगभग 7 माह।

(ड़) पीपा पुल लागने के साथ–साथ ईंट सोलिंग कार्य अनिवार्य है। यदि कार्य समाप्ति की अवधि बीत जाने के बाद ईंट सोलिंग कार्य किया जाता है, तो विपत्र से प्रतिदिन रू॰ 2,000.00 (दो हजार रूपये) की दर से कटौती कर ली जायेगी।

6 दस्तावेज की मूल प्रति को सक्षम पदाधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

7 बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा अनुमोदित ब्रांड का स्टील अवयव एवं ग्रेड सीमेंट का व्यवहार करना संवेदक द्वारा अनिवार्य होगा।

8 ओभर हेड मद के अन्तर्गत होने वाले व्यय यथा गुण नियंत्रण, गोदाम निर्माण–सह–स्थल कार्यालय का निर्माण बिजली, पानी,पर्यवेक्षण हेतु वाहन एवं वैट इत्यादि का वहन संवेदक द्वारा किया जायेगा।

9 प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।

10 निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग / निगम द्वारा देय नहीं होगा।

11 निविदाकारो द्वारा फर्जी / गलत अनुभव प्रमाण–पत्र या निविदा से संबंधित अन्य गलत कागजात प्रस्तुत करने या देने पर, जमा अग्रधन की राशि को जप्त कर ली जायेगी।

12 सशर्त्त बीड स्वीकार्य नहीं होगा। निगम के नियमावली अंतर्गत कार्य सम्पन्न होगा।

13 अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए दर आमंत्रण (निविदा) को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

ह० / –
वरीय परियोजना अभियंता,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0
कार्य प्रमंडल, आरा।

ज्ञापांकः– पटना / दिनांकः–

प्रतिलिपि :– उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को हिन्दी एवं अंग्रेजी के राज्य स्तरीय समाचार पत्र एवं एक उर्दू समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु पाँच प्रतियों में एक सी0डी0 के साथ समर्पित किया जाता है।
अनु०:– यथोक्त।

ह० / –
वरीय परियोजना अभियंता,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0
कार्य प्रमंडल, आरा।

ज्ञापांक–1615 **पटना / दिनांक–14.11.2016**

प्रतिलिपि – 1. प्रबंध निदेशक, / उप मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

2. वेबसाईट इन्चार्ज, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वरीय परियोजना अभियंता,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0
कार्य प्रमंडल, आरा।